राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
59वीं बैठक दिनांक 05 दिसम्बर, 2016
कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 59वीं बैठक दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 को श्री रणबीर सिंह जी, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), सचिव (वित्त), अपर सचिव (वित्त) उत्तराखंड शासन, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड तथा महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, समस्त बैंक एवं शासकीय विभागों के शीर्ष अधिकारियों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों / बीमा कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

श्री अजीत सिंह ठाकुर, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने मंचासीन अतिथियों, राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारीगण के साथ भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनियों एवं बैंकों के उच्च अधिकारियों का एस.एल.बी.सी. की **59वीं बैठक** में पधारने पर स्वागत एवं अभिनन्दन किया। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में समस्त बैंकों द्वारा किए गए विशेष कार्यों एवं उपायों से सदन को अवगत कराया।

बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना :

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के विरुद्ध उनकी भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार दर्ज करना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, जिसकी अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जायेगी।

वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाइलिंग :

सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अभी तक जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान जिला स्तर पर सी.आर.ए. कार्यालय (राजस्व विभाग) से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक अनिवार्य रुप से करना सुनिश्चित करें, ताकि आर.सी. की ऑन-लाइन फाइलिंग प्रक्रिया आरम्भ करते समय किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। शासन द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में एन.आई.सी. द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति में है, जिसे फरवरी, 2017 तक बैंकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने की संभावना है।

आरसेटी :

शासन द्वारा अवगत कराया गया कि रुद्रप्रयाग तथा चम्पावत जिले में आरसेटी संस्थान हेतु भूमि का चयन कर ग्राम्य विकास विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है तथा संबंधित आरसेटी को शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। शासन द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में 2654 बी.पी.एल. अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने में कुल खर्च रु. 40.43 लाख में से अब तक रु. 23.50 लाख का भुगतान विभिन्न आरसेटी संस्थानों को कर दिया गया है और शेष लम्बित दावा राशि की प्रतिपूर्ति वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात कर दी जाएगी।

कृषि सूखा से प्रभावित क्षेत्रों हेतु कार्य योजना :

उत्तराखंड शासन द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि सूखा ग्रस्त जिलों यथा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ एवं रुद्रप्रयाग में प्रभावित ऋणी कृषकों के पात्र ऋण खातों को संबंधित बैंक यथाशीघ्र रिस्ट्रक्चर करें तथा उन्हें नए कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही इस संबंध में वांछित पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को 31 दिसम्बर, 2016 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

फसल बीमा योजना :

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि "**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**" के अंतर्गत रबी 2016 हेतु संसूचित फसल **"गेहूँ एवं मसूर"** के लिए माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2016 में स्वीकृत / वितरित ऋण खातों का

बीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक अनिवार्य रुप से करके बीमा प्रीमियम राशि का प्रेषण दिनांक 15 जनवरी, 2017 तक एग्रीकल्चर इंश्योरंस कंपनी ऑफ इण्डिया को करना सुनिश्चित करें।

किसानों की आय दोगुना करने – वर्ष 2022 तक

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने हेतु नाबार्ड द्वारा सदन में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न उपाय एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए। अध्यक्ष महोदय द्वारा नाबार्ड को निर्देशित किया गया कि आगामी वित्तीय वर्षों हेतु पी.एल.पी. कृषकों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। इस विषय में जिला स्तर पर डी.सी.सी. की उप-समिति का गठन कर क्षेत्र विशेष की संभाव्यता के आधार पर योजना बनाकर, लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की उप-समिति द्वारा भी नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाए।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने बैंकों को निर्देशित किया कि योजनांतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण तुरंत किया जाए और अधिक से अधिक संख्या में ऋण वितरित किए जाएं। संबंधित विभाग द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" के अंतर्गत वितरित ऋणों को भी उपरोक्त योजनांतर्गत शामिल कर, ऋणियों को ब्याज अनुदान का लाभ दिया जा सकता है, जिससे संबंधित सरकारी परिपत्र (सर्कुलर) शीघ्र ही भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बैंकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी बैंक योजनांतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना

नेशनल हाऊसिंग बैंक तथा हुडको द्वारा योजना से संबंधित जानकारी सदन को उपलब्ध करायी गयी तथा अवगत कराया गया कि पूर्व में भी समस्त बैंकों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी गयी थी। इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा नेशनल हाऊसिंग बैंक तथा हुडको के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि योजना को गति प्रदान करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाएं।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि योजनांतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, जिससे कि वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

एम.एस.एम.ई. ऋण

अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत कार्यरत 70 प्रतिशत इकाइयों को ही बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया गया है एवं कतिपय बैंक शाखाओं द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अवधि का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंकों को इस क्षेत्र में वित्त पोषण बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर ठोस कदम उठाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि शाखा स्तर पर समस्त ऋण आवेदन पत्रों की प्रविष्टि "**Loan Application Received & Disposal Register**" में दर्ज करना सुनिश्चित करें। महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि यह रजिस्टर बैंक शाखाओं में पूर्व से ही उपयोग में है तथा सभी बैंक नियंत्रक समय-समय पर इसकी जाँच करना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समयावधि में करते हुए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम

प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन ने बैंकों से कहा कि योजनांतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का ऑन-लाइन निस्तारण दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तक करना सुनिश्चित करें, जिससे कि वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। साथ ही जिन बैंक शाखाओं में कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने के कारण ऑन-लाइन निस्तारण में कठिनाई हो रही है, वे अपनी अन्य किसी निकटतम शाखा में जा कर ऑन-लाइन निस्तारण करना सुनिश्चित करें, जिससे वास्तविक प्रगति परिलक्षित हो सके। निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा बैंकों को अवगत कराया गया कि स्वीकृत / वितरित ऋणों में अनुदान राशि ऑन-लाइन प्रविष्टि के उपरांत ही शाखाओं को प्राप्त हो पाएगी।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना

पर्यटन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत आवेदन पत्रों का ऑन-लाइन प्रेषण एवं मॉनिटरिंग हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसी क्रम में उनके द्वारा बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी समस्त शाखाओं का आई.एफ.एस.सी. कोड उनके कार्यालय को उपलब्ध कराएं एवं योजनांतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण करें।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैण्ड अप इण्डिया :

प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त योजनाओं की प्रगति को गति प्रदान करने हेतु बैंकों को निर्देशित किया कि वे जिला स्तर पर प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को जिला उद्योग केंद्र द्वारा आयोजित होने वाले **"उद्यमिता दिवस"** कार्यक्रम में भाग लेकर इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें तथा जिला उद्योग केंद्र के साथ सामन्जस्य स्थापित कर अधिक से अधिक संख्या में पात्र आवेदकों को ऋण मुहैया कराएं।

ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी – वी.-सैट :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे कनेक्टिविटी रहित क्षेत्रों में वी.-सैट शीघ्र स्थापित करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन क्षेत्रों में वैकल्पिक माध्यमों से कनेक्टिविटी उपलब्ध होना सूचित किया गया है, वहाँ पुन: यह सुनिश्चित किया जाए कि उन स्थानों पर कम से कम इतनी कनेक्टिविटी अवश्य उपलब्ध हो कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ग्राहकों को समस्त बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने असक्रिय (Inactive) बी.सी. को दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक अनिवार्य रूप से सक्रिय (Active) करें तथा जिन स्थानों पर सरकार द्वारा नियुक्त सी.एस.सी. (Common Service Centre) कार्य कर रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार उन्हें भी बी.सी. के रुप में नियुक्त किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा बैंकों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि समस्त जन-धन खातों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 से पूर्व शत प्रतिशत आधार एवं मोबाईल सीडिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। समस्त जन-धन खातों में शत प्रतिशत रु-पे डेबिट कार्ड तथा पिन मेलर जारी किए जाएं तथा उन्हें सक्रिय (Active) कराया जाए। साथ ही साथ अन्य खातों में भी आधार सीडिंग, मोबाईल सीडिंग, रु-पे डेबिट कार्ड तथा पिन मेल जारी करना और उन्हें सक्रिय करना सुनिश्चित किया जाए।

विमुद्रीकरण (नोटबंदी)

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि करेन्सी चेस्ट बैंक शाखाएं उपलब्धता / आवश्यकतानुसार अन्य बैंक शाखाओं को कैश उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया कि स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट बैंकों को उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्था करें। क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि करेन्सी चेस्ट शाखाओं को पर्याप्त कैश उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

कैश-लेस बैंकिंग

कैश-लेस ट्रान्जेक्शन को बढ़ावा देने हेतु अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसके माध्यम से बताया कि निम्न पाँच विधियों से हम कैश-लेस बैंकिंग की ओर अग्रसर हो सकते हैं :

1. United Payment Interface (UPI),
2. USSD (*99# banking),
3. Aadhaar Enabled Payment,
4. e-Wallets and
5. Ru-Pay / Debit / Credit / Prepaid Cards

उन्होंने सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे इसका न्याय पंचायत स्तर पर अभियान चलाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करें, जिससे कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप कैश-लेस ट्रान्जेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके।

एस.एच.जी. – डिजीटाइजेशन

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने अवगत कराया कि जिला देहरादून में एस.एच.जी. का डिजीटाइजेशन का कार्य प्रगति में है और इसे बैंकों के सहयोग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समूहों का गठन व बैंक लिंकेज तो किया जा रहा है, लेकिन क्रेडिट लिंकेज को और अधिक बढ़ाने हेतु बैंकों को विशेष प्रयास करने होंगे।

एन.आर.एल.एम. :

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त योजनांतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

- महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विमुद्रीकरण के दौरान बैंकों द्वारा अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में किए गए कार्य तथा शासन द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना की गयी जिस पर सदन द्वारा करतल ध्वनि से हर्ष व्यक्त किया गया। साथ ही सभी बैंकों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों से आग्रह किया कि कैश-लेस बैंकिंग का विशेष प्रचार-प्रसार कर जनसाधारण को इसके माध्यम से लेन-देन करने हेतु जागरुक किया जाए।

- अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि जिन कृषकों के खाते अनुसूचित बैंकों में नहीं हैं उनके खाते अनुसूचित बैंकों में खोलने का कार्य तेजी से किया जाए, जिससे कि वे अपने रु. 500/- एवं रु. 1000/- मूल्यवर्ग के नोट, जो बदले नहीं गए हैं, को निर्धारित समयावधि में बैंकों में जमा करा सकें।

- अंत में उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून अंचल द्वारा अध्यक्ष महोदय श्री रणबीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड के साथ उपस्थित उत्तराखंड शासन के अन्य शीर्ष अधिकारियों को 59वीं एस.एल.बी.सी. की बैठक में पधारने एवं मार्गदर्शन देने के लिये हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया गया। उनके द्वारा सभी बैंकों की ओर से आश्वासन दिया गया कि बैंक अधिक से अधिक ऋण वितरित कर, राज्य में ऋण प्रवाह में बढ़ोतरी करेंगे। साथ ही विमुद्रीकरण से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने में बैंकों द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की एवं शासन द्वारा दिए गए विशेष सहयोग हेतु उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने बैठक में पधारे शासन के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों, बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये और मीडिया बंधुओं को बैठक की कार्रवाई की कवरेज करने पर धन्यवाद दिया।

****